



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **जान से मारने की नीयत से महिला को गम्भीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.10.2026 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा महिला को जान से मारने की नीयत से गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 11.10.2026 को थाना नरैनी क्षेत्र की पटेल नगर की रहने वाली प्रभा देवी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 10.10.2026 को थाना नरैनी क्षेत्र के पटेल नगर के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आपसी विवाद के चलते उनकी मां को जान से मारने की नीयत से पेट्रोल कि मदद से आग लगाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था । सूचना प्राप्त होते ही थाना नरैनी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को थाना नरैनी क्षेत्र के पटेल नगर व्यास मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनुज पुत्र संतोष निवासी मुहल्ला पटेल नगर थाना नरैनी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 280/26 धारा 333/352/109(1)/351(3) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. प्र0नि0 थाना नरैनी श्री प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री अश्वनी गुप्ता
3. कां0 अंकित सिंह
4. कां0 शुभम यादव